हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/09/25	

पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थीपक्ष उप० / वादी बहस प्रा॰पत्र आर्डर 41 R 27 CPC पत्रावली दिनांक 29/09/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

29/09/25
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 6/10/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

6/10/2025
पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थीपक्ष उप० प्रा॰पत्र आर्डर 41 R 27 CPC पर अप्रार्थीपक्ष वकील बहस सुनी। प्रा॰पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रा॰ पत्र व पत्रावली के अवलोकन व वकील अप्रार्थीपक्ष बहस पर मनन करने के आधार पर प्रा॰पत्र आर्डर 41 R 27 CPC स्वीकार कर अपीलार्थी दस्तावेज को पेश करने की अनुमति दी जाती है। वास्ते बहस मूल प्रा॰पत्र पत्रावली दिनांक 10/10/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

10/10/2025
पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थीपक्ष उप० / अप्रार्थीपक्ष वकील द्वारा प्रा॰पत्र दफा-5 कानून मयाद एवं मूल प्रा॰पत्र पर बहस की गयी। हमने अप्रार्थीपक्ष वकील बहस सुनी। अप्रार्थीपक्ष वकील बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.)बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 08/2024
प्रकरण दायर दिनांक 04.10.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 10.10.2025

उनवान

1. सीताराम पुत्र छोटेलाल दत्तक पुत्र मेवाराम जाति मीना निवासी कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. सुक्मा देवी पुत्री मेवा पत्नि छीतरमल जाति मीना निवासी सोर तलाई की ढाणी कुण्डल तहसील कुण्डल जिला दीसा
2. ग्राम पंचायत कोलवा तहसील बांदीकुई जरिये सरपंच

अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान तहसील बांदीकुई दिनांक 21.12.2023 जो नामान्तकरण संख्या 344 ग्राम रामपुरा तहसील बांदीकुई पर पारित किया गया है।

प्रकरण निर्णय दिनांक 10.10.2025

अपीलांटी द्वारा जर्ये वकील श्री विनोद कुमार विजय के प्रार्थना पत्र नामान्तकरण अपील इस आशय से पेश किया है कि वाके ग्राम रामपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 515 रकबा 0.1700 है०, खसरा नंबर 519 रकबा 0.1700 है०, खसरा नंबर 543 रकबा 0.1100 है०, खसरा नंबर 620 रकबा 0.1500 है०, खसरा नंबर 621 रकबा 0.1300 है०, खसरा नंबर 622 रकबा 0.1100 है० कुल किता 6 कुल रकबा 0.8400 है0 के 1/5 हिस्से का खातेदार मेवा पुत्र भौरया जाति मीना निवासी कोलवा था व इसी प्रकार वाके ग्राम रामपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 400 रकबा 1.6500 है०, खसरा नंबर 401 रकबा 0.3000 है०, खसरा नबर 402 रकंबा 0.9400 है, खसंरा नंबर 517 रकबा 0.0600 है० कुल किता 4 कुल 2.9500 है० के 1/20 हिस्से का खातेदार मेवा पुत्र भौरया जाति मीना निवासी कोलवा था। उक्त मेवा का अपीलांट गोद पुत्र है तथा मेवा ने अपीलान्ट को विधिवत गोद लेकर और रजिस्टर्ड गोदनामा अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड करवाया है तथा मेवा के साथ सेवा की कृषि भूमि पर अपीलान्ट काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है। मेवा की सेवा चाकरी व रोजी रोटी आदि का सम्पूर्ण इंतजाम अपीलान्ट ने क्रिया है तथा मेवा का देहान्त होने पर मेवा के 12 ब्राहम्ण पिण्ड दान आदि सभी कार्य अपीलान्ट ने किया है तथा मेवा की पगडी भी अपीलान्ट के बंधी है। रेस्पोडेन्ट नंबर 01 के सभी कार्य अपीलान्ट ने ही किये है तथा अपीलान्ट मेवा के साथ ही रहता चला आ रहा था। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 अपने ससुराल में रहती है तथा मेवा की पुत्री है। पटवारी हल्का ने बिना कोई जॉच किये बिना व बिना अपीलान्ट को सूचना दिये बिना व अपीलान्ट के द्वारा अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने हेतु पटवारी को आवेदन दे देने के बावजूद भी अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना फर्जी जॉच रिपोर्ट बनाकर और मेवा की विरासत का नामान्तंकरण संख्या 344 ग्राम रामपुरा भरकर और ग्राम पंचायत गादरवाड़ा गुजरान में प्रस्तुत कर दिया जिसे ग्राम पंचायत, गादरवाडा गुजरान ने

Scanned with OKEN Scanner

मेवा का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खुल गया है दोनो ही पटवारियो
करण की नकले ई मित्र से निकलवाने के लिये कहा तो अपीलान्ट ने दिनांक
24 को ऑनलाईन नामान्तकरण संख्या 344 ग्राम रामपुरा एवं नामान्तकरण संख्या 694
वा की नकल निकलवायी तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त दोनो नामान्तकरणो की
हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरणों की कतई जानकारी नही थी
होते ही वकील नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है जो
से अन्दर मयाद है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से
। वैसे भी उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील करने की
ाद भी तय नहीं है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अंदर मयाद श्रीमान के समक्ष

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज किया कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय
न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान तहसील बांदीकुई जो नामान्तकरण संख्या
रामपुरा पर दिनांक 21.12.2023 को पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की
एवं मृतक मेवा की विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम भरकर तस्दीक
आदेश देने की कृपा करे।

साथ ही अपीलांटी द्वारा दफा 5 का प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया कि निर्णय
न्यायालय ग्राम पंचायत कोलवा दिनांक 7.07.2023 जो नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम
पर पारित किया गया है कि अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी क्यो कि उक्त
अपीलॉन्ट को नोटिस दिये बिना व अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये
वारिसान व कब्जे की जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है इसलिये
ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथन दिनांक 27.09.2024 को
ट को थाना कोलवा ने थाने पर बुलवाया तो अपीलान्ट व परिवार के कई लोग थाने
और वहाँ पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भी मौजूद थी तो थाने वालो ने कहा कि ग्राम रामपुरा
वा की मेवा के नाम की भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नंबर 1 सुकमा के नाम खुल
आप इसे मेवा के हिस्से की भूमि में खडी काश्त को काटने दो तो अपीलान्ट ने कहा
काश्त मेरी बोई हुई है और मै मेवा का गोद पुत्र हूँ और नामान्तकरण कैसे खुलवा
ो सुक्मा ने धमकी दी कि मैने पटवारी और सरपंच से मिलकर मेरे नाम अकेले के नाम
करण खुलवा लिया है तो थाने वालो ने अपीलान्ट व अन्य परिवार के लोगो के खिलाफ
07 का केस बना दिया व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को समझाया किन्तु रेस्पोडेन्ट
नहीं समझी तो अपीलान्ट ने दिनांक 29.08.2024 को पटवारी हल्का कोलवा व रामपुरा
कारी की तो दोनो पटवारी हल्का ने बताया कि मेवा का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट नंबर
नाम खुल गया है दोनो ही पटवारियों ने नामान्तकरण की नकले ई मित्र से निकलवाने
कहा तो अपीलान्ट ने दिनांक 29.09.2024 को आनलाईन नामान्तकरण संख्या 344
मपुरा एवं नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम कोलवा की नकल, निकलवायी तब सर्वप्रथम
ट को उक्त दोनो नामान्तकरण की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त
करणो की कतई जानकारी नहीं थी इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है जिसे
द्वारा क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। उक्त
अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील करने की कोई मयाद भी तय नहीं
फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थना पत्र
कानून मयाद पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया
अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाने की कृपा करे।

२५६

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के आधारपर अपीलांट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपीलान्ट अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर बादतकमील दाखिल दफ्तर हो। 6/10/23 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

बिना वारिसान की जाँच किये बिना व बिना मौके पर कब्जे की जांच किये बिना दिनांक 21.12.2023 को तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी। अतः नामान्तकरण संख्या 344 ग्राम रामपुरा पर पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के विरूद्ध निम्न आधारो पर श्रीमान के समक्ष अपील अपीलान्ट पेश है:–

1. यह कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व वारिसान की जाँच किये बिना व मौके पर कब्जे की जाँच किये बिना उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया है जो निरस्त योग्य है।
3. यह कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण खोलने के अपीलान्ट द्वारा दिये गये आवेदन पत्र को गायब करके और मिलीभगत से फर्जी रिपोर्ट बनाकर और मौका पर्चा पर मिलने वालो के व कई व्यक्तियों के फर्जी निशानी करवाकर और जिनके साईन है उनके पिता का नाम व पता लिखे बिना कानून के विपरीत तरीके से तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट के आधार पर मिलीभगत से अपीलान्ट को अपने हक अधिकारो से महरूम करने के लिये उक्त निर्णय पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है।
4. यह कि ग्राम पंचायत के सरपंच को एवं पूरे मेम्बरो को यह भली भांति जानकारी थी कि अपीलान्ट मेवा का गोदपुत्र है और मेवा के नाम की कृषि भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है किन्तु मिलीभगत से जानकारी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।
5. यह कि मीना जाति में हिन्दू लॉ लागू नहीं होता है तथा मेवा जाति से मीना था और मेवा का वारिस अपीलान्ट है कानूनन मीना जाति में पुरुष वारिस के जीवित होते हुए पुत्री के नाम नामान्तकरण नही खोला जा सकता है किन्तु उसके बावजूद भी अपीलान्ट पुरूष वारिस के जीवित होते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के नाम नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है।
6. यह कि मेवा के नाम की कृषि भूमि पर मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।
7. यह कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाड़ा गुजरान दिनांक 21.12.2023 जो नामान्तकरण संख्या 344 ग्राम रामपुरा पर पारित किया गया है कि अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना व अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व वारिसान व कब्जे की जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथम दिनांक 27.09.2024 को अपीलान्ट को थाना कोलवा ने थाने पर बुलवाया तो अपीलान्ट व परिवार के कई लोग थाने पर गये और वहाँ पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भी मौजूद थी तो थाने वालो ने कहा कि ग्राम रामपुरा व कोलवा की मेवा के नाम की भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नंबर 1 सुक्मा के नाम खुल चुका है आप इसे मेवा के हिस्से की भूमि में खडी काश्त को काटने दो तो अपीलान्ट ने कहा कि उक्त काश्त मेरी बोई हुई है और मैं मेवा का गोद पुत्र हूँ और नामान्तकरण कैसे खुलवा लिया तो सुक्मा ने धमकी दी कि मैने पटवारी और सरपंच से मिलकर मेरे नाम अकेले के नाम नामान्तकरण खुलवा लिया है तो थाने वालो ने अपीलान्ट व अन्य परिवार के लोगो के खिलाफ धारा 107 का केस बना दिया व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 01 को समझाया किन्तु रेस्पोडेन्ट नंबर 01 नही समझी तो अपीलान्ट ने दिनांक 29.09.2024 को पटवारी हल्का कोलवा व रामपुरा से जानकारी की तो दोनो पटवारी हल्का ने

Scanned with OKEN Scanner

बताया कि मेवा का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खुल गया है दोनो ही पटवारियो ने नामान्तकरण की नकले ई मित्र से निकलवाने के लिये कहा तो अपीलान्ट ने दिनांक 29.09.2024 को ऑनलाईन नामान्तकरण संख्या 344 ग्राम रामपुरा एवं नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम कोलवा की नकल निकलवायी तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त दोनो नामान्तकरणो की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरणों की कतई जानकारी नही थी जानकारी होते ही वकील नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है जो जानकारी से अन्दर मयाद है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। वैसे भी उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील करने की कोई मयाद भी तय नहीं है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अंदर मयाद श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज किया कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान तहसील बांदीकुई जो नामान्तकरण संख्या 344 ग्राम रामपुरा पर दिनांक 21.12.2023 को पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें एवं मृतक मेवा की विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम भरकर तस्दीक करने का आदेश देने की कृपा करे।

साथ ही अपीलांटी द्वारा दफा 5 का प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कोलवा दिनांक 7.07.2023 जो नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम कोलवा पर पारित किया गया है कि अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी क्यो कि उक्त निर्णय अपीलॉन्ट को नोटिस दिये बिना व अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व वारिसान व कब्जे की जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथन दिनांक 27.09.2024 को अपीलान्ट को थाना कोलवा ने थाने पर बुलवाया तो अपीलान्ट व परिवार के कई लोग थाने पर गये और वहाँ पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भी मौजूद थी तो थाने वालो ने कहा कि ग्राम रामपुरा व कोलवा की मेवा के नाम की भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नंबर 1 सुकमा के नाम खुल चुका है आप इसे मेवा के हिस्से की भूमि में खडी काश्त को काटने दो तो अपीलान्ट ने कहा कि उक्त काश्त मेरी बोई हुई है और मै मेवा का गोद पुत्र हूँ और नामान्तकरण कैसे खुलवा लिया तो सुक्मा ने धमकी दी कि मैने पटवारी और सरपंच से मिलकर मेरे नाम अकेले के नाम नामान्तकरण खुलवा लिया है तो थाने वालो ने अपीलान्ट व अन्य परिवार के लोगो के खिलाफ धारा 107 का केस बना दिया व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को समझाया किन्तु रेस्पोडेन्ट नंबर 1 नहीं समझी तो अपीलान्ट ने दिनांक 29.08.2024 को पटवारी हल्का कोलवा व रामपुरा से जानकारी की तो दोनो पटवारी हल्का ने बताया कि मेवा का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट नंबर 01 के नाम खुल गया है दोनो ही पटवारियों ने नामान्तकरण की नकले ई मित्र से निकलवाने के लिये कहा तो अपीलान्ट ने दिनांक 29.09.2024 को आनलाईन नामान्तकरण संख्या 344 ग्राम रामपुरा एवं नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम कोलवा की नकल, निकलवायी तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त दोनो नामान्तकरण की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरणो की कतई जानकारी नहीं थी इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है जिसे श्रीमान द्वारा क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील करने की कोई मयाद भी तय नहीं है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाने की कृपा करे।

अपील

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्टगण विधिवत की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से एड. श्री अमरसिंह गुर्जर उपस्थित आये एवं उज्र/आपत्ति पेश किया कि अपीलान्ट का कतई गलत आधारों पर अपने आप को मेवा का दत्तक पत्र बताते हुए अपील प्रस्तुत की है जो प्रथम दृष्टया ही क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अदालत हाजा को अपील का सुनवाई का अधिकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट का यह कथन कि मेवा की पगडी अपीलान्ट के बंधी है कतई गलत है। मेवा के मिन रेस्पोडेन्ट एक मात्र वैध प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी है जिसने अपने पिता के समस्त क्रियाकर्म, पिण्डदान ब्राह्मण भोज आदि का कार्य किया तथा पगड़ी की रस्म चौकी पर रखी गई। अपीलान्ट को कभी गोद नहीं लिया ना ही गोद की कभी सामाजिक रस्म ही हुई। अपीलान्ट द्वारा तथाकथित गोदनामा बिना रेस्पोडेन्ट की जानकारी के पिता मेवा राम से धोखाधडी कर तहरीर कराया होगा। पिता मेवा द्वारा कभी भी अपीलान्ट को गोद लेने बाबत कथन नहीं किया। अपीलान्ट छोटेलाल का पुत्र है तथा अपीलान्ट का समस्त दस्तावेजात में पिता छोटेलाल का ही नाम चला आ रहा है। अपीलान्ट ने मिन रेस्पोडेन्ट की सम्पत्ति को हड़पने के लिये कतई गलत आधारों पर अपील प्रस्तुत की है। जो अपील खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जांच कर पिता मेवाराम का मिन रेस्पोडेन्ट की एक मात्र वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी होने से पूर्ण जांच कर नामान्तकरण खोला गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को सदैव से रही है तथा ग्राम पंचायत कोलवा व गादरवाडा गूजरान द्वारा मेवा की मिन रेस्पोडेन्ट एकमात्र वारिस होने से नामान्तकरण खोला गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक व तात्विक त्रुटि नहीं है। अपील का पैरा सं. 01 अस्वीकार है। नामान्तकरण विधिक प्रक्रिया के तहत मेवा की रेस्पोडेन्ट एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी होने से ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जांच कर खोला गया है। अपील का पैरा सं. 02 कतई गलत है अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जांच कर विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुये तथा मेवा की मिन रेस्पोडेन्ट एक मात्र वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी होने से तथा भूमि पर मिन रेस्पोडेन्ट का कब्जा होने से नामान्तकरण खोला गया है। अपील का पैरा सं. 03 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों के बयान लेखबद्ध कर तथा पूर्ण जांच कर मिन रेस्पोडेन्ट के हक में नामान्तकरण खोला गया है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन करने का कथन कतई गलत है। जब अपीलान्ट मेवा का वारिस ही नहीं है ना ही मेवा ने अपीलान्ट को कभी गोद ही लिया। अपीलान्ट का यह कथन कि उसने ग्राम पंचायत को आवेदन किया था कतई गलत है। यदि अपीलान्ट ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन करता तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में नहीं खोलकर मिन रेस्पोडेन्ट के हक में गलत खोला जाता तो अपीलान्ट नामान्तकरण की कार्यवाही के समय से ही आपत्ति अपील प्रस्तुत कर तथा अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की शुरू से ही जानकारी होने से अपील अपीलान्ट प्रथम दृष्या ही मयाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अपील का पैरा सं. 04 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। मेवा का अपीलान्ट गोद पुत्र नहीं है ना ही मेवा की सम्पत्ति पर अपीलान्ट का कोई हक अधिकार है ना ही कोई कब्जा है। मिन रेस्पोडेन्ट मेवा की एकमात्र वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी होने से नामान्तकरण मिन रेस्पोडेन्ट के हक में खोला गया है। अपील का पैरा सं. 05 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। मेवा की मिन रेस्पोडेन्ट एकमात्र वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी होने से कानूनन अपने पिता के स्थान पर नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी है तथा रेस्पोडेन्ट ओल्ड हिन्दू कानून से शासित है जिसमें पुत्री अपने पिता की सम्पत्ति प्राप्त करने की अधिकारी है। अपील का पैरा सं. 06 कतई गलत है। वादग्रस्त भूमि शामलाती खातेदारी भूमि है जिसका अभी विधिवत तकासमा नहीं हुआ है जिसमें अपीलान्ट अपने पिता

Scanned with OKEN Scanner

छोटेलाल के हिस्से पर काबिज काश्त है। मेवा के हिस्से पर मिन रेस्पोडेन्ट का कब्जा व स्वामित्व होने के कारण नामान्तकरण खोला गया है जिसमें विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है। अपील का पैरा सं. 07 कतई गलत है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की शुरू से ही जानकारी रही है। स्वयं अपील के पैरा सं. 03 में भी कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट के हक में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। इससे स्पष्ट हैं कि अपील प्रथम दृष्टया ही मयाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा अपने आप को मेवा का दत्तक पुत्र बताकर अपील प्रस्तुत की है। कानूनन सक्षम न्यायालय से दत्तक की घोषणा कराये बिना दत्तक के आधार पर सुनवाई का राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट अदालत हाजा को अपील का श्रवणाधिकार नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अपील विधि व तथ्यों के विरूद्ध प्रस्तुत करने से खारिज होने योग्य है। अतः उज्रात अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जायें।

प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मयाद एवं मूल प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। रेस्पोडेन्ट वकील ने बहस में कथन किया कि "मेवा ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति था अपीलांटी द्वारा दत्तक पुत्र के अन्य दस्तावेजात में मेवा का नाम नहीं है मेवा की विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान द्वारा जब मेवा के एकमात्र वारिस सुक्मा के नाम हुआ तब अपीलांटी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवायी गयी। ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान द्वारा नियमानुसार विधिक वारिसान की जॉच कर उक्त नामान्तकरण खोला गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने आप को मेवा का दत्तक पुत्र बताकर अपील प्रस्तुत की है। कानूनन सक्षम न्यायालय से दत्तक की घोषणा कराये बिना दत्तक के आधार पर सुनवाई का राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट अदालत हाजा को अपील का श्रवणाधिकार नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अपील विधि व तथ्यों के विरूद्ध प्रस्तुत करने से खारिज होने योग्य है। अपीलांटी राजस्व न्यायालय को गोदनामा के आधार पर टाइटल तक नहीं कर सकता" इस बाबत रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो निम्न है– –

1. (2016) RRD 243 RAJASTHAN HIGH COURT(JAIPUR BENCH) SINGLE BENCH CHHOTU AND OTHERS- Appellant Vs. BOARD OF REVENUE AND OTHERS- Respondant s.b. Civil Writ Petition No. 1182 of 2004 .

2. (1985) RajasthanLR 17 : (1985) RRD 99 RAJASTHAN HIGH COURT(JAIPUR BENCH) SINGLE BENCH RAMJI LAL- Appellant Vs. SULTAN AND OTHERS- Respondant s.b. Civil Writ Petition No. 1182 of 2004 .

हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं उज्रात/आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों एवं रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। अपीलांटी द्वारा प्रार्थना पत्र/पत्रावली में दत्तक पुत्र के अन्य दस्तावेज जिसमे (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि) पिता का नाम मेवा दर्ज हो पेश नहीं किया गया है। ना ही अपीलांटी द्वारा उक्त नामान्तकरण के खिलाफ ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराये जाने बाबत कोई दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अपीलांट को उक्त नामान्तकरण

Scanned with OKEN Scanner

की इतनी समयावधि तक जानकारी नहीं होना भी आधारहीन प्रतीत होता है ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान द्वारा नियमानुसार विधिक वारिसान की जॉच कर नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो विधि संगत प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

10/10/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner